

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.190) दि. 21-02-2019 (श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया))	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियम,2009 अंतर्गत ग्वालियर की अवैध कालोनियों/असंगठित बस्तियों एवं गंदी बस्ती क्षेत्रों में विद्युतीकरण की कार्यवाही की जाना ।।	छः माह में हम यह पूरा कार्य कर देंगे ।		
55	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.498) दि. 21-02-2019 (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी)	भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पंपों के विद्युत वितरण ऊर्जाकरण का कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में प्रदाय की गयी राशि तथा कार्य प्रारंभ में हुए विलंब में लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	कंपनी द्वारा प्रारंभ कर 06 माह की अवधि में पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जावेंगे ।		
56	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.89 (प्रश्न क्रं.646) दि. 21-02-2019 (डॉ. योगेश पंडाग्रे)	सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी जिला बैतूल एवं अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई जिला अनूपपुर में ताप विद्युत इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना ।	आवश्यक स्वीकृतियाँ एवं अनुमोदन प्राप्तकर निर्माण कार्य 18 से 24 माह में प्रारंभ किए जाने की योजना है ।		
57	अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.348) दि. 21-02-2019 (श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया)	प्रदेश में चयनित शहरी क्षेत्र एवं सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवस्था हेतु अंतर्गत आई.पी.डी.योजना के तहत कार्य पूर्ण किया जाना ।	उक्त कार्य माह मार्च-2019 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।		
58	अतारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्रं.619) दि. 21-02-2019 (श्री दिनेश राय मुनमुन)	सिवनी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग न कर अधिक खपत के त्रुटिपूर्ण बिलों के निराकरण एवं कार्यवाही हेतु समिति का गठन किया जाना ।	समिति का गठन किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59	अतारांकित प्रश्न सं.88 (प्रश्न क्रं.654) दि. 21-02-2019 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	मुडवारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर, नई कटनी एवं इन्द्रा नगर में निम्नदाब विद्युत लाईनों के कार्य में पाई गई अनियमितता में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	उक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है ।		
60	अतारांकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.668) दि. 21-02-2019 (श्री सुनील सराफ)	अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों/मजरे टोलों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं आई.पी.डी.एस. योजना के अंतर्गत सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण किया जाना ।	शेष सभी कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्र.367) दि. 21-02-2019 (श्री रामपाल सिंह)	रायसेन जिले में किसानों के नाम फर्जी ऋण धोखाखड़ी सोसायटी में गबन आदि प्रकरणों का परीक्षण कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना एवं पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाना ।	प्रकरणों के सूक्ष्मता से परीक्षण एवं जांच हेतु कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय एवं अनुभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया है, परीक्षण उपरांत कर्ज माफी हेतु पात्र किसानों को लाभान्वित किया जावेगा ।		
62	तारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्र.126) दि. 21-02-2019 (श्री भूपेन्द्र सिंह)	राज्य शासन द्वारा किसानों की कर्जमाफी हेतु राशि का प्रावधान किया जाना ।	योजना अन्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
63	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्र.45) दि. 21-02-2019 (श्री विश्वास सारंग)	जय किसान ऋण मुक्ति योजनान्तर्गत किसानों की कर्जमाफी की कार्यवाही की जाना ।	कर्जमाफी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
64	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्र.76) दि. 21-02-2019 (डॉ. सीतासरन शर्मा)	प्रदेश सहित होशंगाबाद जिले में किसानों की कर्जमाफी की कार्यवाही की जाना ।	ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
65	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्र.128) दि. 21-02-2019 (श्री भूपेन्द्र सिंह)	प्रदेश में फ्लेट भावान्तर भुगतान योजनान्तर्गत द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रावधान किये गये राशि रूपये 1500 करोड़ से संबंधित पात्र किसानों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना ।	पात्रतानुसार किसानों को नियत की जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा ।		
66	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.39 (प्रश्न क्र.379) दि. 21-02-2019 (श्री देवेन्द्र सिंह पटेल)	रायसेन जिले में किसानों को समर्थन मूल्य पर फसलों की भावान्तर भुगतान योजना अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान किया जाना ।	एन.आई.सी. भोपाल द्वारा गणना पत्रक सूची प्रदर्शित होने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.55 (प्रश्न क्रं.482) दि. 21-02-2019 (श्री नागेन्द्र सिंह (गुड))	(1) गुड विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों में पात्र किसानों की कर्जमाफी की कार्यवाही की जाना । (2) ऋण भुगतान में हुई अनियमितता के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) योजनान्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार कर्जमाफी की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) शिकायत प्राप्त होगी तो जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी ।		
68	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.540) दि. 21-02-2019 (डॉ. नरोत्तम मिश्र)	प्रदेश के सभी किसानों के लिये ऋण माफी हेतु तय मापदण्ड पर पात्रतानुसार किसानों को बकाया राशि का भुगतान किया जाना ।	कर्ज माफी की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
69	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.68 (प्रश्न क्रं.557) दि. 21-02-2019 (श्री संजीव सिंह (संजू))	भिण्ड जिले में पात्र किसानों की ऋण माफी की जाना ।	योजनान्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है ।		
70	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.561) दि. 21-02-2019 (श्री हरिशंकर खटीक)	टीकमगढ़ जिले में पात्र किसानों की कर्ज माफी की जाना ।	योजनान्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार कर्ज माफी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
71	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.607) दि. 21-02-2019 (श्री यशपाल सिंह सिंसौदिया)	प्रदेश में सहकारिता एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसानों पर ऋण की जानकारी एकत्र किया जाकर ऋण माफी की कार्यवाही की जाना ।	किसानों पर ऋण की जानकारी एकत्र की जा रही है । योजनान्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है ।		
72	अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.48) दि. 21-02-2019 (श्री विश्वास सारंग)	खंडवा और शाजापुर जिले में किसानों द्वारा कर्जमाफी न होने के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों का कर्ज माफ किया जाना ।	जय किसान फसल ऋण योजना अन्तर्गत पात्रता अनुसार कार्यवाही की जाएगी।		
73	अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.152) दि. 21-02-2019 (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया)	शिवपुरी जिले में किसानों की ऋणमाफी पर विकासखण्ड वार हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त कर पात्र किसानों की ऋण माफी की जाना ।	योजना अन्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74	अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.220) दि. 21-02-2019 (श्री के.पी. त्रिपाठी)	रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सेमरिया अंतर्गत किसानों की फसल ऋण माफी कर ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाना ।	योजना अन्तर्गत नियत प्रक्रिया अनुसार ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
75	अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.616) दि. 21-02-2019 (श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ))	रीवा जिले में मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना में भ्रष्टाचार एवं संचालित योजनाओं में अनियमितता की जाँच कर दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.118 (प्रश्न क्रं.718) दि. 21-02-2019 (श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया))	(1) नरसिंहपुर जिला अंतर्गत ग्राम गगई,सिंहघाट,तहगो,गोटेगांव में जे.सी.बी.मशीन द्वारा अवैध उत्खनन करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना । (2) रेत का अवैध उत्खनन किये जाने वाले दोषियों पर कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को लिखे पत्र पर कार्यवाही की जाना ।	(1) जी हूँ। अवैध उत्खनन के विरुद्ध दो पोकलेन मशीन तथा एक डम्पर जब्त कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है । (2) जी हूँ। माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उपरोक्त उत्तरांशों अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है ।		
77	अतारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.144) दि. 21-02-2019 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन,परिवहन विक्री में लिप्त कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण न्यायालय कलेक्टर, खण्डवा में विचाराधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
78	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.59 (प्रश्न क्रं.510) दि. 21-02-2019 (श्री ठाकुर दास नागवंशी)	जिला होशंगाबाद अंतर्गत धान खरीदी की शेष राशि का किसानों को शीघ्र भुगतान किया जाना ।	जिले में किसानों का 39.50 करोड़ का भुगतान शेष है, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
79	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.242) दि. 21-02-2019 (श्री अरविंद सिंह भदौरिया)	(1) मेडिकल बोर्ड भिण्ड एवं जे.ए.एच. ग्वालियर की एक्सो रिपोर्ट के अभिमत के आधार पर कार्यवाही की जाना । (2) प्रकरण में प्रभारी एस.डी.ओ.तथा रेडियोलॉजिस्ट सहित अन्य पंजीबद्ध दोषी आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) प्रकरण की विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । (2) अगर आरोपी है, धारायें लगी है, केस दर्ज हुआ है, कानून को हाथ में लेने वाले हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्यवाही करेंगे और हम इन दोनों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे, बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.58) दि. 21-02-2019 (श्री विनय सक्सेना)	जबलपुर नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण में लापरवाही की जाँच एवं जाँच निष्कर्ष के अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जो टॉयलेट रखा गया है सिर्फ उसी की लागत इसमें दिखाई गई है. यह गंभीर आरोप हैं और इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। (2) कमिश्नर नगर निगम जबलपुर को आदेश करके पूरी कार्यवाही उनके अनुसार करवाएंगे। (3) शौचालय के संबंध में मैंने पहले भी आश्वासन दिया है कि उसकी पूरी जांच करवाई जायेगी। (4) आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है उसकी पूरी जांच हमारा विभाग करायेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

पशुपालन विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
81	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.67 (प्रश्न क्रं.553) दि. 21-02-2019 (श्रीमती कृष्णा गौर)	भोपाल जिले में पंजीकृत गौशालाओं में शासन द्वारा की गई अनुदान वृद्धि योजनाओं पर कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
82	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.651) दि. 21-02-2019 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	प्रश्न क्रमांक 3707 दिनांक 14.03.2018 एवं तहसील कटनी अंतर्गत प्राप्त नामांतरण के आवेदनों में की गई अनियमितता की जाँच की जाना ।	जो न्यायालय होते हैं और न्यायालयों में जहां पर पटवारियों के द्वारा किए जाते हैं और लोक न्यायालय के द्वारा नहीं किए जाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि यह न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें अपील होती है। यदि आपने इस संबंध में कहीं व्यक्तिगत अपील की हो तो उसकी जांच करवा ली जाएगी।		
83	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.320) दि. 21-02-2019 (श्री डब्लू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा)	सतना जिले के रामस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगो को आंवटित सैकड़ों एकड़ शासकीय भूमि को निजी स्वामित्व में बदलकर खनिज लीज आंवटित संबंधी प्रकरण की जाँच एवं कार्यवाही की जाना ।	(1) शेष प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। (2) आयुक्त रीवा संभाग, रीवा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। जांच पश्चात् विधि अनुकूल कार्यवाही की जावेगी।		
84	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.321) दि. 21-02-2019 (श्री डब्लू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा)	मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन द्वारा कलेक्टर, सतना को प्रेषित पत्र दिनांक 18.05.18 पर कार्यवाही की जाना ।	आदेश दिनांक 02/02/2019 के द्वारा कमेटी गठित कर जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।		
85	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.82 (प्रश्न क्रं.625) दि. 21-02-2019 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले के ग्राम गाडराखेडी तहसील कालापपीपल टप्पा,अरनिया कलॉ की कृषि भूमि के नामान्तरण में प्राप्त शिकायत की जाँच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	भूमि स्वामी श्री हेमराज सिंह द्वारा की गयी शिकायत एवं अभिलेख की जाँच की जा रही है।		
86	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.96 (प्रश्न क्रं.663) दि. 21-02-2019 (श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (बघवाड़ा))	प्रदेश सहित सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रिक्त पटवारी पदों की पूर्ति की जाना ।	PEB द्वारा रिक्त पटवारी पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा आयोजित कराकर रिक्त पदों की पूर्ति की जा चुकी है। शेष रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही की जा रही है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
87	अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.31) दि. 21-02-2019 (श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदु भैया))	जबलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 76 के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान घाटों के लिये आरक्षित जमीनों पर किये गये अतिक्रमणों को हटाया जाना ।	(ग) एवं (घ) कार्यवाही प्रचलित है।		
88	अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.77) दि. 21-02-2019 (डॉ. सीतासरन शर्मा)	फ्रेन्ड्स स्कूल इटारसी को शैक्षणिक कार्य हेतु दी गयी भूमि का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने के संबंध में कलेक्टर होशंगाबाद को दिनांक 01.04.2010 की शिकायत पर की गई जांच एवं जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रचलन में है।		
89	अतारांकित प्रश्न सं.56 (प्रश्न क्रं.506) दि. 21-02-2019 (श्री बीरेन्द्र रघुवंशी)	कोलारस विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत किसानों को सूखा राहत राशि भुगतान संबंधी कार्यवाही की जाना ।	शेष कृषकों को राहत राशि भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
90	तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.680) दि. 21-02-2019 (श्री शैलेन्द्र जैन)	तारांकित प्रश्न क्रमांक 361 दिनांक 27.02.2018 अनुसार एकरेखण परिवर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं शहर में भारी वाहनों के यातायात हेतु बायपास निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाना ।	(1) वर्तमान में एकरेखण परिवर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति का प्रस्ताव भू-अर्जन की राशि अत्याधिक होने से परीक्षाधीन है । (2) जी नहीं । परीक्षाधीन है ।		
91	तारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.720) दि. 21-02-2019 (श्री चेतन्य काश्यप)	सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज के निर्माण में टेण्डर प्रक्रिया में विलम्ब के संबंध में कार्यवाही किया जाना ।	(1) टेण्डर आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) रेल्वे विभाग द्वारा रेल्वे पोर्थन पर बनने वाले पुल के हिस्से का फार्मेशन लेब्रिल एवं लंबाई में परिवर्तन होने से राज्य के हिस्से वाले पुल की जी.ए.डी. में परिवर्तन होने के कारण पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात् निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी। (3) पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
92	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.527) दि. 21-02-2019 (डॉ. योगेश पंडाग्रे)	आमला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत नल जल योजनाओं को प्रारंभ किया जाना।	07 नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य प्रगतिरत् एवं प्रक्रियाधीन है।		
93	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.302) दि. 21-02-2019 (श्री गिराज डण्डौतिया)	मुरैना जिले की दिमनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पी.एच.ई द्वारा नल जल योजनाओं का संचालन किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
94	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.35 (प्रश्न क्रं.332) दि. 21-02-2019 (श्री संजय शुक्ला)	उज्जैन सिंहस्थ,2016 के दौरान पेयजल हेतु खरीदी गई पानी की प्लास्टिक टंकियों एवं स्टैण्ड खरीदी में हुई अनियमितता की जांच की जाना।	टंकी/स्टैण्ड की खरीदी में कथित अनियमितता से संबंधित आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज शिकायत क्रमांक 187/18 के अंतर्गत तथा विभागीय जांच अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के अंतर्गत जारी है।		
95	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.73) दि. 21-02-2019 (श्री दिनेश राय मुनमुन)	सिवनी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत बण्डोल जल समूह योजना अंतर्गत कराये जा रहे घटिया स्तर के कार्य का परीक्षण माननीय सदस्य की उपस्थिति में करवाकर गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाना।	माननीय सदस्य की इच्छा है कि उनकी देखरेख में निरीक्षण हो जाए। मैं उन्हें आश्वस्त कराता हूँ कि बड़ी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हम टेक्निकल अधिकारियों की एक टीम भिजवा देंगे। उन वरिष्ठ अधिकारियों से परीक्षण करवा देंगे, इसमें आपको भी आमंत्रित किया जाएगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 21-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
96	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.79) दि. 21-02-2019 (श्री प्रदीप पटेल, श्री डब्लू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा)	आवकारी विभाग के सहायक आयुक्त धार द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान शराब कारोबारियों द्वारा शासकीय राजस्व धन को क्षति पहुंचाई जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। (ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 79, 85)	भोपाल के समक्ष विभागीय जांच की कार्यवाही एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।		